न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या अपील 41/2015

1–रामदयाल
2–परसराम
3–ठाकुरलाल

पुत्रान जग्गो जाति ब्राहम्ण निवासी भोंट तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

गोरधन पुत्र मूली जाति जाट निवासी भोंट तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....रस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन निर्णय दिनांक 9.11.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 2043 ग्रांम भोंट तहसील रुपवास

उपस्थित :–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 29.10.2020**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन के निर्णय दिनांक 9.11.2015 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नायव तहसीलदार उच्चैन ने नामान्तकरण संख्या 2043 ग्रांम भोंट तहसील उच्चैन ए.सी.एम उच्चैन के निर्णय डिक्री के आधार पर रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है, जिसके खिलाफ यह अपील अपीलान्ट ने पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की तलवी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

अति. जिला कलक्टर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित नामान्तकरण साहयक कलेक्टर उच्चैन के निर्णय डिकरी दिनांक 20.10.2015 के आधार पर स्वीकार किया गया है। उनका तर्क है कि साहयक कलेक्टर उच्चेन के निर्णय डिकरी दिनांक 20.10.2015 के खिलाफ एक अपील आर.ए.ए. कम एस.ओ. भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपील के विचाराधीन रहते हुये तहत न्यायालय ने नामान्तकरण स्वीकार किये जाने में जल्दबाजी कर भारी गलती की है। रेस्पो का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है और नाहीं काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित करने से पूर्व मौका की जॉच नहीं की है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने बाबत एन.टी. उच्चैन का स्थगन का नोट जमाबन्दी में लगा हुआ है जिसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नियम विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है, यह नामान्तकरण ग्रांम पचांयत में पेश होना चाहिये था। नायव तहसीलदार उच्चैन द्वारा अपीलाधीन पारित आज्ञा नियम विरुद्ध होने खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या2043 ग्रांम भेंट सहायक कलेक्टर उच्चैन के निर्णय डिकरी दिनांक 20.10.2015 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। डिकरी की पालना में खोले गये नामान्तकरण की अपील किसी भी सूरत में मैनटेनेविल नहीं होने के कारण इसी आधार पर खारिज योग्य रहने से खारिज की जावे।

हमने पात्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया । अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2043 का अवलोकन किया गया, नामान्तकरण संख्या 2043 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राज से स्टष्ट है कि यह नामान्तकरण सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय डिकरी दिनांक 20.10.2015 के आधार पर रेस्पो0 के नाम खोला जाकर स्वीकार किया गया है। नायव तहसीलदार उच्चैन ने इसमें कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन ने सहायक कलेक्टर उच्चैन के निर्णय/डिकरी की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट का यह तर्क कि सुनवाई

........3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

9.11.2015 से नामान्
की पालना मे खण्डनाधीन आदेश दिनांक
के स्थान 1/4

नहीं की है, मौका नहीं देखा गया है यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि नायब तहसीलदार उच्चैन ने अपर न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश की पालना की है। अपीलाधीन आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस नायव तहसीलदार उच्चैन को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर